न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–160/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/160

अपीलाण्ट :–

हिम्मताराम गोद पुत्र राजाजी जाति लुहार, निवासी कवला तहसील आहोर जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1.सुन्दर बाई पुत्री राजाजी

2 मुली बाई पुत्री राजाजी

3. अणसी बाई पुत्री श्री राजाजी जातिगण लुहार, निवासीगण कंवला तहसील आहोर जिला जालोर।

4. ग्राम पचायत कंवला जरिये पदेन सचिव या सरपंच ग्राम पंकत्वा पंचायत समिति आहोर, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 76, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.07.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर जिला जालोर, अनवान श्रीमती सुन्दर बाई बनाम हिमताराम, में नामान्तरण संख्या 161 अपास्त बाबत।

उपस्थिति :–
1. श्री राजूराम परमार, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 29.10.24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर जिला जालोर,_के प्रकरण संख्या 08/2012 अनवान श्रीमती सुन्दर बाई बनाम हिमताराम,_में निर्णय दिनांक 14.07.2017 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया। बावजूद तामील के रेस्पो. अनुपस्थित रहे।

3. बहस वकील अपीलाण्ट सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

29.10.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2017 कानून व वाक्यात के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट को राजाजी ने लगभग 27 वर्ष पूर्व गोद लिया था तथा अपीलान्ट को समाज एंव रिश्तेदारों की मौजूदगी में गोद लिया था। गोद लेने के समय गोदनामें की सम्पूर्ण रश्मों का पालन किया था। तब से अपीलान्ट राजाजी के पास गोदपुत्र की हैसियत से रहता था तथा उनके जीवनकाल में अपीलान्ट ने ही सेवा चाकरी थी और उनकी मृत्यू के बाद उनके पीछे हरीद्वार में अस्थियों विसर्जन की थी। राजाजी ने अपने जीवनकाल में जरिये पंजीबद्ध गोदनामें दिनांक 19.09.1985 को गोद लिया था तथा गोदनामें के पेज संख्या 2 में यह लिखा हुआ है कि "अतः इस रजिस्ट्री के आधार पर अब तुम हिम्मताराम पुत्र साजी के नाम से पुकारे जाओं तथा मेरी मनकुला गैर मनकुला जायदाद, रोकड जर जैवर के मालिक तुम हिम्मताराम होगें"। राजाजी ने उपरोक्त कथनों के अनुसार अपीलान्ट के हक में अपनी ईच्छा भी प्रकट की है तथा उसी आधार पर अपीलान्ट के हक में नामान्तरण संख्या 161 पारित किया था जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगाय 3 को प्रारम्भ से ही थी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के उक्त कथनों पर भरोसा नहीं कर नामान्तरण संख्या 161 खारीज करने में कानूनी भूल की है। अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपालान्ट की अपील को स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार आहोर को रिमाण्ड कर दिया तथा यह आदेश पारित किया है कि तथ्यों की जांच कर पुनः म्यूटेशन पारित करें, जो गलत है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स के अधिकारों पर गौर तक नही किया जो कानून व वाक्यात के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त नामान्तरण रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगाय 3 की सहमति से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ था। उक्त नामान्तरण सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपनाकर व कब्जे की जांच कर पारित किया गया था। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तमाम तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कानून व वाक्यात के विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत वमुकाम आहोर में उक्त प्रकरण को चर्चा मजमे आम में मैरिट पर निस्तारण करने में कानूनी वाक्याती की भूल की है। जबकि अपीलान्ट्स को लोक अदालत ऐलाना में इस प्रकरण में उपस्थित होने के कोई नौटिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नहीं हुए तथा न ही कोई नोटिस प्राप्त हुए जिससे अपीलान्टस लोक अदालत आहोर के समक्ष उपस्थित नही हो सके। लोक अदालत वमुकाम आहोर में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स के अधिवक्ता की उपस्थति गलत दर्ज की है। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत का अर्थानवय गलत निकाला है। लोक अदालत में प्रकरण पक्षकारों की उपस्थिति में मैरिट पर निस्तारित किया जाना न्यायोचित नही है। जबकि आपसी समझाईस से प्रकरण को निस्तारित किया जाना होता है। अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

पूर्व पुरुष राजाजी कि मृत्यू हिन्दु उत्तराधिकार संसोधन अधिनियम 2005 दिनांक 09.09.2005 से प्रभावशील होने के पूर्व हो चुकी थी। पक्षकारान् का परिवार हिन्दु मिताक्षरा उत्तराधिकार के गवर्न होता। मृतक राजाजी के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

निधन के फलस्वरूप उत्तराधिकार खुलने के समय तत्समय प्रभावी उत्तराधिकार अधिनियम निर्णय नजीरों अनुसार महिला (पुत्री) परिवार की सहदायिका की सदस्यता नही थी एवम तद्नुसार नामान्तरण संख्या 161 दिनांक 06.03.1990 स्वीकृत करते समय स्पीडेन्ट संख्या 1 लगाय 3 का नाम म्यूटेशन में दर्ज करना कतई आवश्यक नहीं था। नामान्तरण संख्या 161 दिनांक 06.03.1990 सही व विधि सम्मत स्वीकृत किया गया था। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट की गोद पिता की मृत्यू के बाद रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगाय 3 की सहमति से खातेदारी आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक में राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। तब से विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा व कास्त है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उक्त तथ्य को गौर नहीं किया तथा 22 वर्ष पूर्व पारित म्यूटेशन को निरस्त करने का आदेश पारित किया जो कानून गलत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगाय 3 विवाह के पश्चात् अपने ससुराल में रहती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगाय 3 के सभी अवसरों पर अपीलान्ट सम्मिलित हुआ है तथा अपीलान्ट ने कर्त्तव्य अपनी सगी बहिन की तरह निभाया है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगाय 3 को अच्छी तरह से जानकारी है कि राजाजी की जमीन में अपीलान्ट का नाम बहुत पहले दर्ज हो चूका है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगाय 3 ने अपीलाधीन म्यूटेशन की अच्छी तरह जानकारी होने के बावजूद भी 22 वर्ष बाद बदनियतीपूर्वक अपील पेश की है। जिस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त नामान्तरण रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगाय 3 की सहमति से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ था। उक्त नामान्तरण सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपनाकर व कब्जे की जांच कर पारित किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगाय 3 का विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तमाम तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगाय 3 ने धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् अपने अधिकारों की मांग है लेकिन राजाजी की मृत्यु के वक्त रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगाय 3 का अपीलान्ट की खातेदारी आराजी में धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् कोई हक व अधिकार नहीं रहता है। अपीलान्ट को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके है। केवल मात्र लम्बे अर्से बाद म्यूटेशन को चुनोति देकर खातेदारी अधिकार निरस्त नहीं किये जा सकते अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में 22 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करने के बाबत कोई विधिक अभिकथन नहीं किये है। विवादित म्यूटेशन अवैध व शून्य नही है केवल मात्र अचानक जानकारी होना बताना व अनपढ़ता का सहारा लेकर विधिक म्यूटेशन शून्य व अवैध नहीं हो सकता है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जवाब में वर्णित कथनों पर भरोसा नहीं करने में कानूनी व्याक्याति भूल की है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा व काश्त

29.10.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

है। जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगाय 3 का विवादित आराजी पर कभी कब्जा व काश्त नहीं रहा।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगाय 3 ग्राम पंचायत आहोर के समक्ष नामान्तरण संख्या 161 में पक्षकार नहीं थे इसलिए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु धारा 96 सी.पी.सी. के तहत् आज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपील प्रस्तुत करने के बिन्दु पर किसी प्रकार की फाईन्डिंग नही दी। इसके आभाव में अधिनस्थ न्यायालय का आदेश पोषनीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगाय 3 ने धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र जो कथन किये है। उक्त कथन बेबुनियादी व प्रथम दृष्टिया झुठे प्रतित होते है। रेस्पोडेन्ट को उक्त म्युटेशन की जानकारी प्रारम्भ से ही थी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में 22 साल की देरी को क्षमा करने बाबत् कोई समुचित आधार वर्णित नही किया है इस आधार पर ही अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगाय 3 ने अपनी अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगाय 3 को अपीलान्ट के नाम नामान्तरण की जानकारी दिनांक 25.06.2012 को होने पर दिनाक 26.06.2012 को नकल प्राप्त हुई। उक्त कथनों से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगाय 3 अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष झुठे कथन अंकित किये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगाय 3 ने किस प्रकार से म्यूटेशन की जानकारी अंकित नहीं किया। रेस्पोडेन्ट सख्या 1 लगाय 3 ने एक मात्र अपील को अन्दर म्याद सुमार करने हेतु बेबुनियादी कथन किये है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगाय 3 को प्रारम्भ से ही जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगाय 3 की अपील को अन्दर म्याद सुमार करने में कानूनी भूल की है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगाय 3 उक्त म्युटेशन अपील के जरिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता हैं। जो अधिनस्थ न्यायालय को प्रदान करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है जिस आधार पर ही अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

म्युटेशन एक फिसकल प्रोसेडिंग हैं तथा प्रोसेडिंग में किसी भी व्यक्ति के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जाते हैं। जिसमें पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती। यदि रेस्पोडेन्ट 1 लगाय 3 को उक्त आराजी में कोई हक व अधिकार होता तो वह घोषणा के बाद में आदेश प्राप्त करती। रेस्पोडेन्ट ने फिसकल प्रोसेडिंग में 22 वर्ष बाद अपीलाधीन आदेश पारित करवाया हैं। उक्त अपील प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाते हुए अधीनस्थ अपील न्यायालय का आदेश दिनांक 24.07.2017 को निरस्त किये जाने का आदेश पारित फरमावें तथा म्युटेशन संख्या 161 दिनांक 06.03.1990 को बहाल रखा जावें। अन्य कोई उचित आदेश, जो माननीय न्यायालय अपीलाण्ट के पक्ष में पारित करना उचित समझे, पारित फरमाया जावे।

28.10.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

6. पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। रेस्पोडेण्टगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रकरण में हस्तगत द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा उनके समक्ष ना. स. 161 (तस्दीक वर्ष 1990) के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू.राजस्व अधि. 1956 में परित निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।

प्रकरण में मृतक राजाजी लुहार की मृत्यु होने के उपरांत रजिस्टर्ड गोदनामा जिसके वसीयत होने का भी कथन करना बताया गया है, के आधार पर रेस्पोडेण्ट हिम्मताराम के अकेले के नाम ना.स. 161 वर्ष 1990 में दर्ज किया गया था। जिसके विरूद्ध मृतक राजाजी लुहार की तीन पुत्रियों सुन्दरबाई, मूलीबाई ओर अणसीबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी, जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 में अभिनिर्धारित किया गया है कि मृतक के तीन जायंदा पुत्रियां भी है जबकि ना. स. 161 अकेले गोद पुत्र अपीलाण्ट हिमताराम के पक्ष में इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए तस्दीक किया गया है। जबकि पुत्रियां भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। एवं यदि हिम्मताराम गोदपुत्र भी है तो मृतक की सम्पति में समस्त जायंदा पुत्रियां व गोदपुत्र का भी समान हक हिस्सा है। जबकि ना.स. 161 अकेले गोदपुत्र अपीलाण्ट हिम्मताराम क पक्ष में तस्दीक करना विधिक नही है।

प्रकरण में वकील अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के बाबत उठाये गये एतराज के बिन्दुपर प्रकरण के तथ्यों का अवलोकन पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के देरीना से प्रस्तुत होने बाबत गुणावगुण पर विचार कर डिले कन्डोन करने का आदेश पारित किया है । प्रकरण विधिक उत्तराधिकार के संबंधित है जिसमें अपने विधिक हको की मांग किसी भी समय की जा सकती है। अतः इस प्रकरण में धारा 5 लिमिटेशन एक्त के तहत डिले कन्डोन करने का आदेश विधि सम्मत है। साथ ही प्रकरण में गुणावगुण पर विचार करने पर इस न्यायालय का अभिमत है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर का निर्णय विधि सम्मतहै। अतः तहसीलदार, आहोर मृतक राजाजी लुहार के जायंदा एंव गोद वारिसान की जांचकर विधि सम्मत नामान्तरकरण दर्ज किया जावे। तदानुसार यह अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर के प्रकरण संख्या 08/2012 दिनांक 14.7.2017 बअनवान सुन्दरबाई बनाम हिमताराम वगैरा के निर्णय को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस

29.10.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29.10.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)